

144761 ROOPALI PANDEY
Astt. Manager

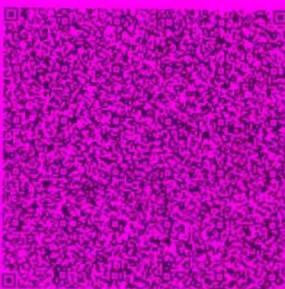


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP01226651886443N
Certificate Issued Date : 22-Jul-2015 01:05 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101476459950201N
Purchased by : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : BHUKHAND NO.14/GH-11(C), VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.) : 8,16,00,000
(Eight Crore Sixteen Lakh only)
First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Paid By : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 57,00,000
(Fifty Seven Lakh only)



.....Please write or type below this line.....



Handwritten signature

आवन्टी



Handwritten signature

सुप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

WN 0001955738



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 150895

01 JUL 2015

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया-किश्त कय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 24 माह 07 दो हजार 2015 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

क्रमशः 2 पर

आवन्ती

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

2019-20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 150894

01 JUL 2015

(2)

माध्यम से होता है। एक पक्ष और श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह निवासी-सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु0 रिचा सिंह पुत्री स्व0 श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्क्वायर जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म डिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिरोमणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त केता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूँकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त क्रय योजना के अधीन किराया किश्त केता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त केता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूँकि किराया-किश्त केता ने रू0 1,71,82,920.00 (शब्दों में केवल रू0 एक करोड़ इक्कत्तर लाख ब्यासी हजार नौ सौ बीस मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

क्रमशः 3 पर

उप आवास आयुक्त

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

5408 S. UNIVERSITY AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

100-15 10/16/90

100-15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS-358350

(3)

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) का कुल मूल्य ₹0 8,16,00,000.00 (₹0 आठ करोड़ सोलह लाख मात्र) जिसका आधा ₹0 4,08,00,000.00 (₹0 चार करोड़ आठ लाख मात्र) होता है। आवंटी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात् ।

1. किराया-किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में, सम्पत्ति का, जिसकी संख्या 14/GH-11(C) है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में सेक्टर संख्या-14 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2. किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 53 (मासिक) की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार पन्द्रह के अगस्त-15 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(क) किराया-किश्त-क्रेता ₹0 18,45,558.00 केवल (₹0 अट्ठारह लाख पैतालीस हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी मास में जिससे मासिक किश्त देय हो जाये प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा ऐसी प्रथम किश्त दिनांक 01.08.2015 से दिनांक 31.08.2015 तक जमा करना है। जिसे प्रथम किश्त के रूप में समझा जाये और ऐसी अगामी भुगतान वर्ष 2015 के माह सितम्बर 2015 या उसके पूर्ण प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया किश्त क्रय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

कमशः 4 पर

[Handwritten signature]

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358349

(4)

ख. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

क्रमशः 5 पर

Shush
आवन्ती

उप-आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

—

0201 215 1/6+2A-140 1015 5/

0201 215 1/6+2A-140 1015 5/



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358348

02 JUL 2018

(5)

घ. किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति के भीतर किसी भी प्रकार का ब्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

क्रमशः 6 पर

आवन्टी

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

[Handwritten signature]

0102-010 0102-010
0102-010 0102-010
0102-010 0102-010
0102-010 0102-010

- 0102-010 0102-010 0102-010 0102-010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358347

(6)

छ.किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा ।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

ज. किराया- किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा ।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा ब्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

झ.किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा ।

ञ.किराया-किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों, से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें ।

क्रमशः 7 पर

Shresh

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Handwritten signature or mark.

2101.15 1/6+2/6-130

215

Handwritten signature or mark.

Handwritten text and stamp, possibly a date or official mark.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358346

(7)

ट.किराया-किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायें और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

उ.उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

ड.किराया-किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा और आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

क्रमशः 8 पर


आवन्ती

उपे औवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

2) 2) $\frac{16 + 17 - 14}{2} = 14.5$

1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
26

६. किराया-किशत कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तर्लिखित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किशत कंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किशत कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किशत कंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है परन्तु किराया-किशत कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किशत कंता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

७. किराया-किशत कंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किशतों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किशत में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किशत कंता तदनुसार किशतों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किशतों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किशत का जल सम्पत्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

तथा यदि किराया-किशत कंता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किशत कंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

था यदि किराया-किशत कंता किराया-किशत कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतदद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किशत कंता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

६. इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किशत-कंता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किशत कंता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किशत कंता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

७. स्वामी एतदद्वारा सहमत है कि किराया-किशत कंता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

क्रमशः 9 पर

(9)

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त कंता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त कंता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3.स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त कंता को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त कंता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4-हस्तान्तरण विलेख समान्यतः स्वामी द्वारा किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया -किश्त कंता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया -किश्त कंता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण-विलेख निष्पादित करेगा।

5.यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगे और किराया-किश्त कंता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-3 के सभी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 14/GH-11(C) एवं भूमि का क्षेत्रफल 3200.00 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

उत्तर	- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-7	उत्तर-	40.00	मीटर
दक्षिण	- 45.00 मी० चौड़ी सड़क	दक्षिण-	40.00	मीटर
पूर्व	- 12.00 मी० चौड़ी सड़क	पूर्व-	80.00	मीटर
पश्चिम-	- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-12	पश्चिम-	80.00	मीटर

इस ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से डा० अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त ने तथा श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह एवं कु० रिचा सिंह पुत्री स्व० श्री इन्द्रवीर सिंह द्वारा फर्म ट्रिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिरोमणि उपाध्याय ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।



उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 10 पर

विक्रय अनुबंध विवेख (कच्चा)

81,600,000.00 17,182,920.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल

मालियत

अंशम धनराशि

कोष रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शुल्क लगभग

श्री

श्रीलाल कान्स प्रा० लि० द्वारा अधि, हस्ता, आशीष कुमार उपाध्याय

राम शिरमोहि उपाध्याय

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी

अस्थायी पत्ता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/7/2015 समय 1:01PM

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



एस.बी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/7/2015

श्री श्रीलाल कान्स प्रा० लि० द्वारा अधि, हस्ता, आशीष

कुमार उपाध्याय

राम शिरमोहि उपाध्याय

पेशा व्यापार

निवासी 703 स्कोटिया टावर ओम्नेक्स हाइट अपार्टमेंट

विभूतिखन्ड गोमती नगर लखनऊ



विकेला

निपादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजामन व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखनानुसार उक्त

बले निबन्धन हेतु पेश किया।

श्रीलाल कान्स प्रा० लि० द्वारा अधि, हस्ता, आशीष कुमार उपाध्याय

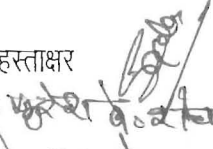
इस बाल से संवृष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निपादन श्री उ० प्र० आ० लि० प्र० द्वारा उ० अतिरिक्त कुमार उ० आ० ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

(10)

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-
स्थान लखनऊ
दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

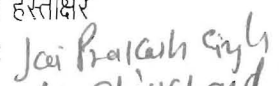
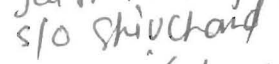
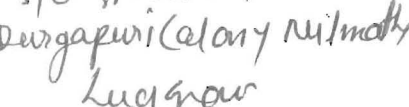
1-हस्ताक्षर : 
2-नाम : 
3-पता: 



किराया किशत क्रेता का
(सुपाढ्य हस्ताक्षर और पता)

आवन्ती

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : 
2-नाम : 
3-पता 

1- हस्ताक्षर:-

2-नाम श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह :
निवासी-सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु0 रिचा सिंह
पुत्री स्व0 श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्ववायर
जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म
ड्रिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार
टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र
श्री रामशिरोमणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औमेक्स
हाइट अपार्टमेन्ट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर : 
2-नाम : 
3-पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए


उप आवास आयोग
इन्दावन योजना, लखनऊ

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर : 
2-नाम :
3-पता

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किशत क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किशत क्रेता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावें।

सिनाईकरणी अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ

25/7/2015



प्रत्यक्षतः परम माधियों के निशान अंगुठे निवमानुसार लिखे गये हैं।

ने की।

निवासी

पेशा

पुत्र श्री

व श्री

सुरेश कुमार योनिना सहित 10 वि० 40

निवासी बी-34 से 10 सी० अलीगढ़ लखनऊ

पेशा व्यापार

पुत्र श्री राम औरतार यादव

निवासी पदवान श्री सुरेश के, बोरखर

ने निपादन स्वीकार किया।

Handwritten signature of the undersigned officer.

Handwritten signature of the undersigned officer.

(5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।

(6) भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

(7) किराया-किश्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9) भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

(12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

(13) परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14) उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त कंता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) गुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होगी।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) एवं कुल क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रु० 22,500.00 एवं 45.00 मीटर चौड़ी सड़क एवं 12.00 मीटर चौड़ी सड़क पर भूखण्ड होने की दशा में रु० 10 प्रतिशत रु० 2,250.00 कुल रु० 24,750.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ-रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग मीटर की मालियत रु० 7,92,00,000.00 है। परिषद द्वारा आवंटित मूल्य रु० रु० 8,16,00,000.00 है।

शासनादेश सं० वि० क० नि० 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से रु० 57,12,000.00 के स्टाम्प बनते हैं। अतः ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP01226651886443N, DATE:-22/06/2015 रु० 57,00,000.00 एवं स्टाम्प रु० 15,000.00 कुल स्टाम्प रु० 57,15,000.00 पर किराया किश्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट— उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग-5 सं० नि० क० नि० 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011 द्वारा किश्त किरायेदारी अनुबन्ध परिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम:- श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सजय कुमार सिंह निवासी-सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु० रिचा सिंह पुत्री स्व० श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्क्वायर जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म डिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिरोमणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

आवन्ती

AASPU0956F

(स) अनिल कुमार)

सम-आवासीय उपयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

કેવલ

Registration No. : 14476

Year :

2,015

Book No. :

1

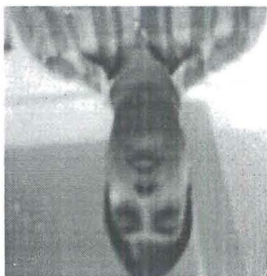
0201

કૈલાસ કાન્સ પ્રા0 લિ0 દ્વારા અધિ, દરવા, આશીષ કુમાર વણચાર

રામ શિરામણિ વણચાર

703 ફોટોગ્રાફ દ્વારા ઓબ્સર્વેશન ટાઇટ અપાઈમેન્ટ લિમિટેડ ગોમતી :-

વણચાર





OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

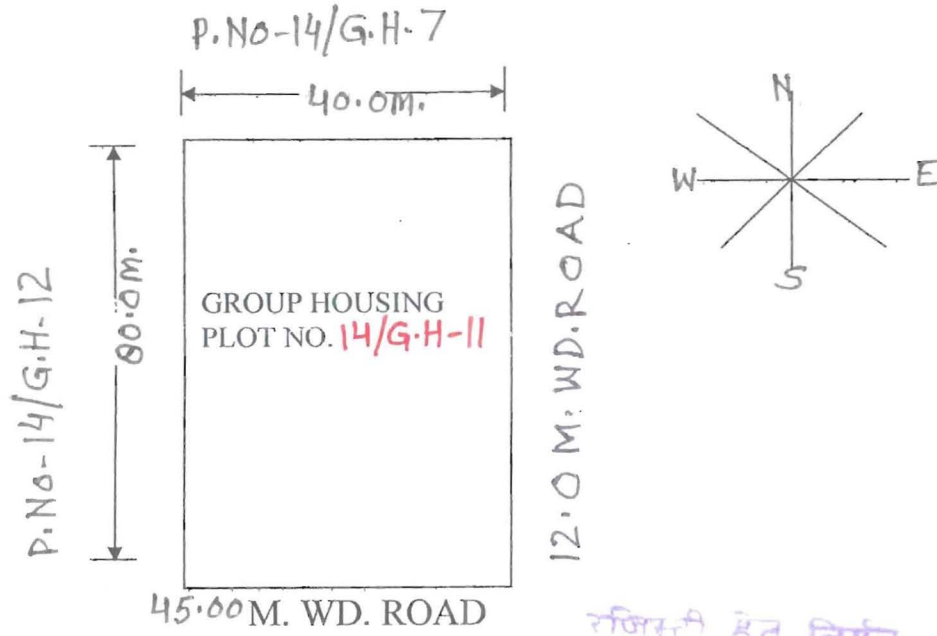
OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2,
PART-2, RAI BAREILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT No. 14/G.H.-11 SECTOR-14
AT VRINDAVAN YOJNA No.4, LUCKNOW.

OWNER SRI. /SMT.

PLOT SIZE 40.00 M X 80.00 M

PLOT AREA 3200.00 SQ.M.



रजिस्ट्री हेतु निर्गत
प्रमाण क्रमांक 58 दिनांक 26/9/12

D/MAN

J.E.

A.E.

आवन्ती

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आज दिनांक

25/07/2015

को

वही सं.

1

जिले सं.

19328

पृष्ठ सं.

35

से

60

पर कमांक

14476

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रार अदालत के हस्ताक्षर

एस.बी. सिंह

उप निव-धक(प्रथम)

लखनऊ

25/7/2015